संख्याः- 517 /नौ-5-14-151बजट/2013-18

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, अयोध्या (फैजाबाद), कांधला (शामली), नवाबगंज (गोण्डा), सोनभद्र (सोनभद्र), तथा कोसीकलां (मथुरा)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की 05 नागर स्थानीय निकायों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल ₹ **325.67 लाख** (₹ तीन करोड़ पच्चीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष ₹ **159.00 लाख (₹ एक करोड़ उनसठ लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रमांक	जिले का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1.	फैजाबाद	नगर पालिका परिषद्, अयोध्या	29.99	15.00
2.	शामली	नगर पालिका परिषद्, कांधला	39.98	20.00
3.	गोण्डा	नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज	120.88	60.00
4.	सोनभद्र	नगर पालिका परिषद्, सोनभद्र	107.61	50.00
5.	मथुरा	नगर पालिका परिषद्, कोसीकलाँ	27.21	14.00
		योग	**325.67**	**159.00**

(₹ एक करोड़ उनसठ लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा ₹ 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सी.एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **दिनांक 31 मार्च, 2014** तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-8- 1238 /दस-14, दिनांक 01 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्याः- 517 (1)/नौ-5-14-151बजट/2013-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 517 /नौ-5-2014-151बजट/2013-18 दिनांक 01 मार्च, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सोपक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	नगर पालिका परिषद्, अयोध्या	1. प्रो0 सप्त सागर में गर्ग एजेन्सी से श्री धुर्वराज प्रजापति से होते हुए श्री जगदीश नरायन पंकज के पीछे तक नाला निर्माण कार्य	24.41	
			2. मो0 धनैजा कुण्ड में धनैजा कुण्ड तिराहे से परिक्रमा मार्ग तक नाला निर्माण कार्य	5.58	
			योग	**29.99**	**15.00**
2	शामली	नगर पालिका परिषद्, कांधला	1. बाईपास पर नाला निर्माण कार्य	19.90	
			2. कैराना रोड पर नाला निर्माण कार्य	20.08	
			योग	**39.98**	**20.00**
3.	गोण्डा	नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज	1. मोहल्ला चाईटोला में मुमताज के घर के पीछे से फुटहा शिवाला जाने वाली रोड तक नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	15.30	
			2. मोहल्ला संचरही में सचदेवा एकेडमी के सामने पुलिया निर्माण कार्य।	6.41	
			3. मोहल्ला पड़ाव में कपूर बाबू के घर के बगल रोड पर पुलिया निर्माण कार्य।	6.13	
			4. मोहल्ला पड़ाव में पम्प नं0-03 के सामने रोड पर पुलिया निर्माण कार्य।	9.86	
			5. मोहल्ला चाईटोला में रामबहादुर के घर के बगल रोड पर पुलिया निर्माण कार्य।	9.57	
			6. मोहल्ला चाईटोला में जगदम्बा वकील के खेत के बगल नाले से नगर पालिका सीमा तक नाला निर्माण कार्य।	19.91	
			7. मोहल्ला पड़ाव में में स्टेट बैंक के सामने रोड पर पुलिया निर्माण कार्य।	10.66	
			8. मोहल्ला पोख्तादरवाजा में झील रोड से लाल शहीद बाबा को जाने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य।	18.35	
			9. मोहल्ला पड़ाव में डा0 हरिपाल सिंह के मकान से रघुवीर गुप्ता के मकान तक नाला व पुलिया निर्माण कार्य।	24.69	
			योग	**120.88**	**60.00**

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 517 /नौ-5-2014-151बजट/2013-18 दिनांक 01 मार्च, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सोपक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
4.	सोनभद्र	नगर पालिका परिषद्, सोनभद्र	1. सजौर पुलिया से उमेश मिश्रा के घर के पास तक नाला निर्माण का कार्य।	24.67	
			2. रमेश मिश्रा के घर से अभिनव बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर के घर के सामने तक नाला निर्माण का कार्य।	25.00	
			3. मझगांव सम्पर्क मार्ग के पास से विन्ध्यवासिनी स्कूल के पास तक नाला निर्माण का कार्य	21.36	
			4. पन्नूगंज मार्ग कि.मी. 17 से माँ जगदम्बा एजुकेशनल स्कूल के सामने तक नाला निर्माण कार्य	20.45	
			5. बिजौली ग्राम सम्पर्क मार्ग के पास से ह्यूम पाइप पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	16.13	
			योग	**107.61**	**50.00**
5.	मथुरा	नगर पालिका परिषद्, कोसीकलाँ	1. शमशान रोड पर निकासा शिवचरन पण्डित से चदौरिया के गोदाम से लेकर नेशनल हाइवे तक नाले का निर्माण कार्य	14.51	
			2. निकासा रीछ बन्दर वाले चौराहा नथिया बामनी के प्लाट से लेकर रीछ बन्दर होते पुरानी जी0टी0 रोड पुलिया तक नाले का निर्माण कार्य	12.70	
			योग	**27.21**	**14.00**
			महायोग (1 से 5 तक)	**325.67**	**159.00**

(₹ एक करोड़ उनसठ लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।